पीठासीन अधिकारी:– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:– 33/2017/अपील

बलदेव पुत्र राजुराम जाति माली निवासी आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1 झाबरमल पुत्र मोहन जाति बलाई निवासी धीरजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2 सागरमल पुत्र मोहन जाति बलाई निवासी धीरजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3 विमला पत्नी छोटेलाल जाति बलाई निवासी– मालाकाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4 पतासी पत्नी स्व0 सुवा
5 छीतर पुत्र सुवा
6 मोहन पुत्र कानाराम
7 प्रेमा पुत्र कानाराम
8 मनीष पुत्र गोपाल
} समस्त जाति बलाई निवासीगण आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 18.12.1989
बाबत नामान्तरण संख्या – 114

वकील अपीलांट श्री भागीरथमल जाखड़
वकील रेस्पोडेंट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय दिनांक:–05.01.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आभावास तहसील श्रीमाधोपुर की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 2.09 हैक्टर किस्म चारागाह अपीलान्ट व अन्य ग्रामवासियों के पशु चराई के रूप में उपयोग उपभोग में आ रही है। जिसके नये खसरा नम्बर 8/2293, 8/2292 व 8/2257 है। उक्त चारागाह भूमि को बिना किसी विधिवत आदेश के नियम विरूद्व रेस्पोडेंटस के नाम से नामान्तकरण संख्या 114 दर्ज कर खातेदारी दर्ज कर दी। आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 2.09 हैक्टर पूर्व में चारागाह रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि में से कानूनी प्रावधानों के विपरित 1.50 हैक्टर भूमि नियम विरूद्व बिना किसी विधिवत आदेश के गलत रूप से उक्त नामान्तकरण संख्या 114 के जरिये रेस्पोंडेन्ट के नाम से गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दी कानूनी प्रावधानों के तहत चारागाह भूमि की खातेदारी कानून किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 14.03.2017 को उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने की चेष्टा करने तथा खातेदारी अपने नाम दर्ज होने बताने पर अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश जिस आदेश के तहत नामान्तकरण भरा गया है, ऐसा कोई आदेश रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट व ग्रामवासियों को कोई सूचना, नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकण संख्या 114 दिनांक 18.12.1989 निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुये अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पों का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 03.07.1989 की पालना में भरा गया है व जब तक उक्त आदेश प्रभावी है नामान्तकरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश से भिन्न होने के सम्बंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह निर्विवाद है कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.1989 की पालना में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को चुनौति प्रदान के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामान्तकरण को अपील के माध्यम से चुनौति देना विधि सम्मत नही है। अतः अपील इस आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official